न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 17/2015/टीए

छोगालाल पिता धुलचंद महाजन
निवासी नेगडिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. प्रथा पिता रूपा चमार
2. मु. अणची पत्नि रूपा चमार
3. धापु पुत्री रूपा चमार
4. हगामी पुत्री रूपा चमार
5. कन्ना पिता गोकल चमार
   सभी निवासी नेगडिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय व आदेश उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
दिनांक 31.03.2015 प्रकरण सं. 2/2012

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट – अनुपस्थित

निर्णय दिनांक– 22.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मौजा नेगडिया तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 464, 465, 466, 467 के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया किया उक्त आराजीयात अपीलान्ट के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। उक्त आराजीयात पर आने–जाने का रास्ता आराजी नम्बर 1057/475 मे स्थित है, जो आराजी नम्बर 473 से होकर आराजी नम्बर 464 पर पहूँचता है जिस पर अपीलान्ट अपनी आराजी पर कृषि उपकरण, बेलगाडी ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। प्रार्थी की आराजी पर पहूँचने के लिए ओर कोई रास्ता नही है। मौके पर रास्ता बना हुआ है, परन्तु ये रास्ता रेवेन्यू रिकार्ड नक्शा, ट्रेस जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से रोक देते है। रास्ते मे मिट्टी खोदते है तथा आवागमन मे बाधा पैदा करते है। उक्त रास्ते को सीमांकित करने, रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्शाने हेतु प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया। अपीलान्ट को अपनी आराजी पर पहॅूचने के लिए 15 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। मौके पर 15 फीट चौडा रास्ता सीमांकित करने के लिए अंकन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे उपस्थिति हुए व प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण की आराजीयात पर आने–जाने हेतु आराजी नम्बर 1057/75 व आराजी नम्बर 473 की मेर पर कोई रास्ता नही है। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई। कमिश्नर रिपोर्ट मे अंकित किया कि अपीलान्ट की आराजीयात एक चह होकर अपीलान्ट की उक्त आराजीयात पर आने–जाने का कोई रास्ता नही है जो रास्ता आराजी नम्बर 1057/475 व आराजी नम्बर 473 पर जो रास्ता है वो बन्द है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम कराये जाने निरस्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

2. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह मानते हुए कि उक्त आराजीयात पर आने–जाने का रास्ता आराजी नम्बर 640 जो मौजा ढंढिया मे अवस्थित है। उक्त आराजी से उत्तर की तरफ मुडक छापरडा मे होते हुए अपीलान्ट अपनी आराजीयात पर पहॅूच सकता है जो काल्पनिक होकर दुसरे गांव से आने का रास्ता है जबकि अपीलान्ट की आराजीयात मौजा नेगडिया मे स्थित है व उक्त आराजीयात पर होकर आने जाने का रास्ता अपीलान्ट के लिये सुगम है अपीलान्ट नियमानुसार मुआवजा राशि देने को तैयार है फिर भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो विधि के विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मे स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि किसी खातेदारी की आराजीयात पर आने–जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तो पडौसी खातेदारी की मेड पर नियमानुसार राशि जमा कर रास्ता कायम कराये जाने का अधिकारी है व उन्ही अधिकारो के तहत अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किये जाने योग्य था फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो विधि के विरूद्ध है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक

31/03/2015 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम कराये जाने स्वीकार फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अपीलार्थी रिकार्डेड टीनेन्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त परिस्थितियो को ध्यान मे रखकर रास्ता मंजुर नही किया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 13/08/2013 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 36 पर उपलब्ध है जिसमे उल्लेख है कि कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नही है। मौके पर कदीमी रास्ता है जिसकी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे विक्रय की बात टाल दी है। प्रार्थी/अपीलान्ट को उदयपुर जिले की तहसील की भूमि से रास्ता दिया गया है। वकील अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की गई। जिसमे सम्पूर्ण उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ संलग्न किये गये तथा मांग की गई है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रार्थी अपीलार्थी के खातेदारी (संलग्न जमाबंदी मार्क संख्या 14) भूमि मे आने–जाने के लिए पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट अनुसार अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने तथा संलग्न फोटोग्राफ मार्क 4, 5 एवं 6 मे दिखाई दे रहा रास्ता जिसका उपयोग आज भी प्रार्थी कर रहा है तथा फोटोग्राफ मे दिखाई दे रही अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा बनाई गई बाड–कोट के दक्षिण मे राजस्व ग्राम नेगडिया के आराजी नम्बर 1057/475 एवं 473 मे संलग्न मार्ग 13 नक्शे मे दर्शाये अनुसार एवं संलग्न फोटोग्राफ मार्क 6 मे दिखाई दे रहे कोट–बाड के दक्षिण मे दिखाई दे रहा 15 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत कराया जाकर जमाबंदी एवं नक्शे मे अंकन करने का आदेश तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ के नाम पर जारी किया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहे।

5. बहस एक तरफा सुनी गई तथा लिखित बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य निर्विवादित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त रिकार्ड का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है। वैकल्पिक रास्ता नही होने के कारण उपलब्ध मौका रिपोर्ट का भी अध्ययन नही किया गया है वरन् रास्ता उदयपुर जिले के गांव से स्वीकृत किया गया जो विधिसम्मत नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा प्रकरण संख्या

2/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 31/03/2015 अपास्त किया जाता है। साथ मे यह भी निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा बनाई गई बाड–कोट के दक्षिण मे राजस्व ग्राम नेगडिया के आराजी नम्बर 1057/475 एवं 473 मे संलग्न मार्क 13 नक्शे मे दर्शाये अनुसार एवं संलग्न फोटोग्राफ मार्क 6 मे दिखाई दे रहे कोट–बाड के दक्षिण मे दिखाई दे रहा 15 फीट चौडा रास्ता डीएलसी दर पर स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार डूंगला को निर्देश दिया जाता है कि सम्बन्धित जमाबंदी एवं नक्शे मे राशि जमा होने पर उपरोक्तानुसार अंकन किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़